अनुसूची14—फारम सं0 563

आदेश की क्रम—संख्या और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई करवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ 3

न्यायालय- अनुमण्डल दण्डाधिकारी,अरवल ।

वाद सं0- 775/ 12, धारा- 133 द0प्र0सं0

आलीक अंसारी बनाम रेयाजुद्दीन अंसारी वगैरह

25.03.2013

आ दे श

उभय पक्ष को सुना । प्रथम पक्ष का कहना है कि खाता सं0- 128, प्लॉट सं0- 287, कुल रकबा- 11 डी0 में से विवादित 15 फीट चौड़ा एवं 25 फीट लम्बा की भूमि आम गैरमजरुआ भूमि पर आम रास्ता को अतिक्रमित किया गया है। जो अंचल अमीन के नापी रिपोर्ट से भी स्पष्ट है और जो विपक्षी बताते हैं कि आम गैरमजरुआ भूमि को 19/07/ 1972 को केवाला खरीदगी के माध्यम से प्राप्त होना बताते हैं । इस प्रकार अवैध एवं गैर-कानूनी तरीके से खरीद कर लिये हैं और बाँस-बल्ला से घेर कर अतिक्रमण कर लिये हैं । जिससे आम जनता को रास्ता से आने- जाने में कठि-

अनुसूची14—फारम सं0 563

आदेश की क्रम—संख्या और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई करवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ 3

नाई हो रही है । इसलिए आम गैरमजरूआ भूमि को अतिक्रमण से मुक्त करने का आदेश दिया जाय ।

द्वितीय पक्ष का कहना है कि प्रश्नगत भूमि कैसरए-हिन्द की भूमि है जिसके खतियानी रैयत अकबर जुलाहा , पिता- चाँद थे । उनसे वली मोहम्मद मियाँ के पूर्वज ने वसिका सं0- 879, दिनांक- 10/ 02/ 1959 खरीद किया तथा वली मोहम्मद मियाँ से प्रार्थी(द्वितीय- पक्ष) वसिका सं0- 5450, दिनांक- 19/ 04/ 1972 को बजरीये केवाला वयलाकलामी द्वारा खरीद कर उसी समय से दाखिल-काबिज हैं । तथा उपरोक्त प्लॉट- 287 में कई अन्य लोग खरीद कर मकान बना कर रह रहे हैं । अपने लिखित आवेदन में कहते हैं कि खाता- 128, प्लॉट- 287, प्रथम पक्ष का प्लॉट-288 सटा हुआ है तथा प्लॉट-288 के सामने ही 12कड़ी चौड़ा ईंट खड़नजा गली है। अंचल अमीन के पाँच

अनुसूची14—फारम सं0 563

आदेश की क्रम-संख्या और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई करवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ 3

प्रतिवेदन के कण्डिका 3• में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि प्लॉट-288 के पूर्वी आर में 12 कड़ी चौड़ा उत्तर से दक्षिण ईंट खड़ंजा गली है, जबकि दक्षिण रास्ता प्रथम पक्ष के खेत प्लॉट- 288 तक है ।

अग्रेतर यह भी कहना है कि हीरा-लाल बनाम जगेश्वर राम,1973,क्रि0 लॉ सं0-1375 हिमाचल प्रदेश के वाद में स्पष्ट किया गया है कि जहाँ किसी चीज का उपयोग बहुत दिनों से हो रहा है, वहाँ धारा-133 के अधीन कार्यवाही नहीं की जा सकती है जिसका नियमन की छाया प्रति भी दाखिल है। द्वितीय पक्ष द्वारा वसीका की छाया प्रति भी दाखिल किया गया है ।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं दाखिल वसीका तथा नियमन की छाया प्रति के आधार पर धारा- 133 द0 प्र0 सं0 की कार्यवाही का कोई आधार नहीं है और प्रथम पक्ष

आदेश की क्रम–संख्या और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई करवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ 3
	-4-	
	अपने मूल आवेदन की कंडिका -{5} में कहते हैं कि विपक्षीगण उक्त आम गैरमजरूआ जमीन का जाली कागज बना कर प्रश्नगत भूमि को अतिक्रमण कर लिये हैं तो सर्व प्रथम प्रथम पक्ष को जाली वसिका के खिलाफ जाना चाहिए था और विपक्षी का वसिका वर्ष-1972 का है और उस समय से प्रथम पक्ष को कोई आपत्ति नहीं हुआ । इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रथम पक्ष केवल परेशान करने के नीयत से यह वाद लाये हैं ।क्योंकि एक नियमन भी है कि " देव रख, 6 मुम्बई लॉ रिपोर्ट 358 " इस अवैध अस्थायी टेंपरोरी रूकावट के लिए नहीं है। ऐसी स्थिति में वाद की कार्यवाही समाप्त किया जाता है। आदेश से विद्व अधिवक्ता को अवगत करावें ।	
	लेखापित एवं संशोधित	
	अनु0 दण्डाधिकारी, अरवल । अनुमण्डल दण्डाधिकारी, अरवल ।	25/4/13